राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1315, 1316, 1317 व 1318/2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रिब्यूशन प्रा0 लि0, 3rd फ्लोर, पावर कॉम्प्लेक्स, ग्राम हॉज खास, नई दिल्ली

बनाम

(1) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर
(2) अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
10/09/2015	अपीलार्थी द्वारा ये चार अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 259/15–16, 260/15–16, 261/15–16 व 262/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 19.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 26.12.2014 को सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सेलफोन/लेपटोप/नोटबुक/टेबलेट के साथ चार्जर का विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान चार्जर को अनुसूची–IV के तहत कवर्ड मानते हुए 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया गया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम मैसर्स नोकिया इंडिया प्रा. लि.** के अनुसरण में चार्जर को सामान्य कर दर से कर योग्य मानते हुए अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 26, 55, 61 व 65 के तहत दिनांक 12.06.2015 को पारित करते हुए तदनुसार 8.5/9/10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं करापवंचन के लिये वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं, साथ ही वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि के स्थगन बाबत निवेदन किया गया। अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक	

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–4) 1315, 1316, 1317 व 1318/2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रिब्यूशन प्रा0 लि0, 3rd फ्लोर, पावर कॉम्प्लेक्स, ग्राम हॉज खास, नई दिल्ली

बनाम

(1) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर
(2) अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/09/2015

पारित किये गये आदेश दिनांक 19.08.2015 से अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से (धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक) स्वीकार करते हुए शेष राशि पर स्थगन से इंकार किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	अवधि	आरोपित				चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति u/s 61	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1315/15	2009–10	4,83,179	3,33,395	9,66,358	17,82,932	7,68,256
1316/15	2010–11	13,51,962	7,70,618	27,03,924	48,26,504	19,09,883
1317/15	2011–12	12,34,451	5,55,903	24,68,902	45,59,256	19,66,908
1318/15	2012–13	11,03,058	3,64,010	22,06,116	36,73,184	13,56,762

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. के. जैन तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार करने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए सभी प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि **(उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 7 अनुसार)** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह की अवधि में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार चारों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

10.09.2015

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

10.9.2015

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर